


२२/२०२२

पत्रावली पेअ डुई पत्रावली मे कई
चार आवक लगवाई गई मार वार



आज लगाने के उपरान्त भी वकील साथ
उपस्थित नहीं होंगे। जहाँ कायल स्वयं उपस्थित
होंगे। अतः पत्रावली अदालत हाजिरी कदम करवी
से व अदालत तकलीफ से खारिज की जागी है।
पत्रावली फेसल भुगत होकर नम्बर दे कम
होकर बाद तकलीफ करिवर डफ्तर हो।



उपखण्ड अधिवक्ता
करोली (राजग)

उपखण्ड अधिवक्ता
(राजग) करोली